

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)  
श्री प्रहलाद वैष्णव पिता कन्हैया लाल वैष्णव जाटों का मोहल्ला माण्डल

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज०)  
प्रकरण संख्या :- 48/2025 जीसीएमएस नम्बर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 05-06-2025  | <p align="center">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li> <li>अपीलार्थी अपने आवेदन-पत्र दिनांक 04.03.2025 में वर्णित सूचना तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार माण्डल से चाही गई है। तहसीलदार भीलवाड़ा आर. टी. आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा आवेदन सक्षम प्राधिकारी - लोक सूचना अधिकारी जो कि उपखण्ड अधिकारी माण्डल है, के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि त्रुटी पूर्ण है। इसलिए अपीलार्थी की अपील विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो वांछित सूचना के सम्बंध में नवीन आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने हेतु स्वतन्त्र है।</li> <li>इसलिए अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</li> </ol> <p align="center">निर्णय आज दिनांक 05-06-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |   |



(जसमीत सिंह संघु)  
प्रथम अपीलार्थी अधिकारी  
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा